



कार्यालय मुख्य वनसंरक्षक बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर (छ.ग.)

सिंधी कॉलोनी, जरहामाठा, बिलासपुर (छ.ग.) पिन कोड-495001

फोन : 07752-227624, फैक्स : 07752-221385

E-mail : cfbilaspur@rediffmail.com

क्रमांक/तक/ 1589

/बिलासपुर/दिनांक - 6-7-17

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं,
नोडल अधिकारी, व.सं.अ.-1980,
रायपुर, छत्तीसगढ़।

विषय :- Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 for the purpose of 765 KV S/C Champa Dharmajaygarh Transmission Line, area 22.182 Ha. - Regarding.

Registration No. - FP/CG/TRANS/18820/2016

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक/विद्युत/1340, दिनांक 06.06.2016 एवं वनमण्डलाधिकारी जांजगीर-चाम्पा का पत्र क्रमांक/3910 दिनांक 04.07.2017

—o—

विषयांकित प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम-1980, के दिशा निर्देशों तथा नवीन चेक लिस्ट के अनुसार, वनमण्डलाधिकारी जांजगीर-चाम्पा से अनुशंसा उपरांत, संदर्भित ज्ञापन से इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है। उक्त प्राप्त प्रस्ताव का इस कार्यालय के परीक्षण उपरांत, प्रस्ताव का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :-

1. आवेदनकर्ता Director, Chhattisgarh WR Transmission Limited, Ahmdabad द्वारा जांजगीर-चाम्पा वनमण्डल अंतर्गत कुल आरक्षित वन 7.021 हे. संरक्षित वन 5.550 हे. एवं राजस्व वनभूमि 9.610 हे. कुल 22.182 हे. की मांग ट्रांसमिशन लाईन हेतु की गई है।
2. आवेदनकर्ता द्वारा, प्रस्ताव में शासन आदेशानुसार, पंजीयन एवं प्रोसेसिंग शुल्क 1,51,000/- रुपये जमा कराये गये हैं।
3. Diversion हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का घनत्व 0.1 से 0.4 तक है एवं इसमें मिश्रित प्रजाति के वृक्ष खड़े हैं एवं वन की Site Quality - IV/B है।
4. व्यपवर्तन (Diversion) हेतु प्रस्तावित वन भूमि का मुख्य वन संरक्षक / वनमण्डलाधिकारी का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है। निरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार :-
(iii) प्रस्तावित गैर वानिकी कार्य (ट्रांसमिशन लाईन) हेतु मांग की जा रही वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई भी गैर वन भूमि विकल्प के रूप में उपलब्ध नहीं है।
(iv) व्यपवर्तन (Diversion) हेतु प्रस्तावित वन भूमि की मांग न्यूनतम है।
5. प्रकरण में प्रभावित वन भूमि के बदले में निजी राजस्व क्षेत्र में 30.645 हे. क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित किया गया है।
6. वैकल्पिक वृक्षारोपण चयनित निजी राजस्व भूमि की वृक्षारोपण हेतु उपयुक्ता का वनमण्डलाधिकारी जांजगीर-चाम्पा का प्रमाण पत्र एवं साथ ही इस निजी राजस्व पर स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना वर्ष 2017-18 की दर से रुपये 6,00,222/- प्रति हेक्टेयर की दर से तैयार कर संलग्न है।
7. Diversion हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र के आसपास कोई ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मुर्ति न होने संबंधी वनमण्डलाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न है।
8. परियोजना का Cost Benefit Analysis संलग्न है।

09. प्रस्तावित गैर वानिकी परियोजना में आवेदनकर्ता द्वारा संरक्षण अधिनियम, 1980 के नियम 3B का उल्लंघन नहीं किया है।
10. आवेदित क्षेत्र किसी Ecological Sensitive क्षेत्र (Biosphere Reserve, प्राकृतिक झील/वाटर बॉडी, आदिवासी सैटलमेंट, धार्मिक स्थल) की सीमा के 10 वर्ग कि.मी. के अंतर्गत नहीं है। वनमण्डलाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न है।
11. आवेदित वन भूमि किसी उद्यान एवं किसी वन्य प्राणी अभ्यारण्य का भाग नहीं है एवं आवेदित वन भूमि की सीमा से 10 वर्ग कि.मी. की परिधि में कोई संरक्षित वन क्षेत्र नहीं है। वनमण्डलाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न है।
12. आवेदक द्वारा शासन निर्देशानुसार 22.182 हे. वन भूमि की Site Quality - IVB एवं घनत्व 0.1 से 0.4 तक है। जिसके लिए शासन द्वारा निर्धारित दर से प्रत्याशा मूल्य (NPV) जमा करने हेतु वचन पत्र दिया है।
13. मिश्रित रोपण योजना के क्रियान्वयन हेतु आवेदनकर्ता का वचन पत्र संलग्न है।

अनुशंसित प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम 1980 के मार्गदर्शिका सिद्धांतों के अनुरूप सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर Diversion प्रस्ताव भारत सरकार से प्रथम चरण स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव 4 प्रतियों में संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :- प्रस्ताव 4 प्रतियों में।

पृ.क्र./मा.चि/ 1590

/बिलासपुर, दिनांक 6-7-17

प्रतिलिपि :-

1. वनमण्डलाधिकारी, जांजगीर-चाम्पा वनमण्डल छ.ग. की ओर सूचनार्थ।
5. आवेदनकर्ता Director, Chhattisgarh WR Transmission Limited, C-105, Sambhav Building Judges Bungalow Road Bodakdev, Ahmedabad - 380015 की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य वन संरक्षक
बिलासपुर वृत्त बिलासपुर

मुख्य वनसंरक्षक अधिनियम, 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव

(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग-3

(संबंधित वनसंरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14. स्थल जहां की वन भूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित मुख्य वनसंरक्षक ने निरीक्षण किया है। (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गए प्रक्षेपों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।

Director, Chhattisgarh WR Transmission Limited, C-105, Sambhav Building Judges Bungalow Road Bodakdev, Ahmedabad - 380015 द्वारा चाम्पा-धरमजयगढ़ ट्रांसमिशन लाइन हेतु जांजगीर-चाम्पा वनमण्डल अंतर्गत आरक्षित वन 7.021 हे. संरक्षित वन 5.550 हे. एवं राजस्व वनभूमि 9.610 हे. कुल 22.182 हे. वनभूमि का स्थल निरीक्षण नहीं किया गया है।

15. क्या संबंधित मुख्य वनसंरक्षक भाग (ख) में दी गई सूचना और उप वनसंरक्षक के सुझावों से सहमत है।

हाँ

16. प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित मुख्य वनसंरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।

अनुसंशित।

मुख्य वन संरक्षक

बिलासपुर वृत्त बिलासपुर

